

मंडल आयोग

प्रलिस के लयः

अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, आरक्षण, इंदरा साहनी केस, OBC आरक्षण, मंडल आयोग, रोहणी आयोग ।

मेन्स के लयः

मंडल आयोग, आरक्षण: लाभ और चुनौतियाँ ।

चर्चा में क्यों?

- बहिर में शुरु हुए [जातिसरवेक्षण](#) के दूसरे चरण के साथ ही कई अन्य राजनीतिक बहसों के कारण मंडल राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है ।

मंडल राजनीति और मंडल आयोग:

परचयः

- मंडल राजनीति का आशय **1980 के दशक में उभरे ऐसे राजनीतिक आंदोलन** से है जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदायों (वर्षीय रूप से अन्य पछिड़ा वर्ग- ओबीसी) को शामिल करने पर बल दिया गया था ।
- इस आंदोलन का नाम **मंडल आयोग के नाम पर रखा गया था** ।

मंडल आयोग:

- मंडल आयोग या **दूसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक पछिड़ा वर्ग आयोग** को वर्ष 1979 में भारत के 'सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पछिड़े वर्गों' के लोगों की पहचान करने के लिये गठित किया गया था ।
 - इसकी अध्यक्षता **बी.पी. मंडल** ने की थी और इसने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष **1990 में इसे लागू किया गया था** ।
 - इस आयोग की रिपोर्ट से पता चला कि देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से संबंधित है ।
 - प्रारंभ में आयोग ने तर्क दिया कि सरकारी सेवा में आरक्षण के प्रतिशत को इस प्रतिशत से मेल खाना चाहिये ।
 - हालाँकि यह **एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले (1963) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गया**, जिसने **50% की सीमा** निर्धारित की थी । SC और ST के लिये पहले से ही 22.5% आरक्षण था ।
 - इसलिये OBC के लिये आरक्षण को 27% पर सीमित कर दिया गया था ।

- आयोग ने गैर-हडिओं के बीच पछिड़े वर्गों की भी पहचान की ।

मंडल आयोग की सफारिशें:

- OBC को **सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण** प्रदान किया जाना चाहिये ।
- उन्हें **सार्वजनिक सेवाओं के सभी स्तरों पर पदोन्नति में समान 27% आरक्षण** प्रदान किया जाना चाहिये ।
- आरक्षण कोटा, यदि पूरा नहीं किया गया है, को **3 वर्ष की अवधि के लिये आगे बढ़ाया** जाना चाहिये ।
- OBC को SC और ST के समान आयु में छूट प्रदान की जानी चाहिये ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, सरकारी अनुदान प्राप्त नज्ी क्षेत्र के उपक्रमों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये ।
- सरकार इन सफारिशों को लागू करने के लिये आवश्यक कानूनी प्रावधान करे ।

मंडल आयोग का प्रभाव:

- मंडल आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सरकार को व्यापक वरीध का सामना करना पड़ा और जब सरकार ने इसे लागू करने का नरिणय लया तो जहाँ छात्रों ने वरीध में आत्मदाह कया ।
- कार्यान्वयन को अंततः [इंदरि साहनी बनाम भारत संघ](#) मामले में चुनौती दी गई थी ।

इंदरि साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय का रुखः

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने OBC के लयि 27 परतशित आरक्षण को संवैधानक रू से वैध माना लेकन कुछ शर्तों के साथः
 - न्यायालय ने कहा क आरक्षण 50 परतशित कैप की सीमा में ही होना चाहयि और पदोनतमें इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहयि ।
 - [करीमी लेयर](#) की अवधारणा भी न्यायालय द्वारा समुदाय के संपन्न लोगों को बाहर करने के लयि पेश की गई थी ।
 - [कैरी फॉरवरड नयम](#) (जसके द्वारा आगामी वर्ष में अपूरण रकतयिों को भरा जाता है)को 50 परतशित की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहयि ।

मामलों	प्रलय	विवाद
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन, 1950	कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जाति आधारित आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन करता है। इसने कहा कि आरक्षण समानता का अपवाद है और इसलिए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।	संविधान के पहले संशोधन की शुरुआत हुई, जिसने फैसले को अमान्य कर दिया।
एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, 1963	कोलेज प्रवेश में मैसूर सरकार के 68% आरक्षण को अत्यधिक और अनुचित माना गया था, और इसे 50% पर रोक दिया गया था।	सुप्रीम कोर्ट ने इंदरि साहनी मामले में 1992 में आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी थी।
देवदासन बनाम भारत संघ, 1964	अदालत ने फैसला सुनाया कि यदि आरक्षण 50% से अधिक हो जाता है तो वे अमान्य होंगे।	आरक्षण को युक्तिसंगत बनाया गया और इसे समानता का पहलू करार दिया गया।
केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस	इस विचार की पुष्टि की कि आरक्षण कोई अपवाद नहीं है बल्कि समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक है। इसने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 16 (1) की समानता की अवधारणा में अब तक बहिष्कृत वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई शामिल है।	इस फैसले को आरक्षण के दर्शन का पहला निश्चित न्यायिक समर्थन माना जाता है।
इंद्र साहनी और अन्य बनाम भारत संघ, 1992	अदालत ने ओबीसी के लिए अलग आरक्षण को बरकरार रखा लेकिन "क्रीमी लेयर" को बाहर कर दिया। इसने आर्थिक आरक्षण को खारिज कर दिया और सभी आरक्षणों के लिए 50% की सीमा निर्धारित की।	1999 में इस मामले को फिर से दबाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के बहिष्करण की फिर से पुष्टि की और इसे SCS और STS तक बढ़ा दिया।
एम नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2007	77वें संशोधन को बरकरार रखा जिसने एससीएस और एसटीएस के लिए रोजगार में पदोन्नति के लिए आरक्षण बढ़ाया।	अदालत ने फैसला सुनाया कि पदोन्नति को पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व और दक्षता की आवश्यकता के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करना चाहिए। बैकलॉग रक्तयिों को 50% की सीमा से बाहर रखा गया था।
LRS द्वारा I. R. Coelho (मृतक) की। तमिलनाडु राज्य, 2007	तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण सीमा का पालन करने की सलाह दी।	तमिलनाडु आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत रखा गया था, जिसे अदालत ने पहले ही बरकरार रखा था।
पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005	सरकारी अनुदान प्राप्त न करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों पर आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है।	93वें संविधान संशोधन के नेतृत्व में अनुच्छेद 15(5) पेश किया गया।
अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, 2007	गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण पर 93वें संशोधन को बरकरार रखा।	प्रत्येक 10 वर्षों में पिछड़ेपन की अनुशंसित समीक्षा।
राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ, 2014	ओबीसी की केंद्रीय सूची में जाटों को शामिल किए जाने पर कड़ा प्रहार किया।	पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए नए तरीके प्रस्तावित किए।
Jaishri Laxmanrao Patil v Union of India, 2021	मराठा आरक्षण को असंवैधानिक बताया हुआ रद्द कर दिया गया।	आरक्षण पर 50% की सीमा की फिर से पुष्टि की गई।
Janhit Abhiyan vs Union Of India, 2022	शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण पेश करने वाले 103वें संशोधन को बरकरार रखा।	एक नई आरक्षण व्यवस्था बनाई गई।

मंडल आयोग की वरीषताएँः

- **परतनिधित्त्व में वृद्धिः** मंडल आयोग ने सरकारी नौकरयिों और शैक्षणिक संस्थानों में SEBC के परतनिधित्त्व को बढ़ाने में मदद की ।
 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014-2021 के दौरान सीधी भरती के माध्यम से कुल नयुक्तके खलिफ OBC का परतनिधित्त्व लगातार 27 परतशित से ऊपर था ।
- **शकषा तक पहुँचः** आरक्षण नीत ने कई OBC छात्रों को उच्च शकषा तक पहुँच में सक्षम बनाया है । इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में OBC छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014-2021 की अवधि के दौरान 2014-15 से उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC का नामांकन लगातार बढ़ रहा है।
- **सामाजिक न्याय:** मंडल आयोग की सिफारिशें सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थीं और इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर उन लोगों को समान अवसर प्रदान करना था जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं।

मंडल आयोग के दोष:

- **समाज के उत्थान पर सीमिति प्रभाव:** इसका प्रभाव बहुत कम समुदायों तक सीमिति रहा है। **न्यायमूर्ति रोहिंगी जी. आयोग** के अनुसार, OBC में लगभग 6,000 जातियों और समुदायों में से केवल 40 समुदायों को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं सविलि सेवाओं में भरती हेतु 50% आरक्षण का लाभ मिला।
- **राजनीतिकरण:** राजनेताओं ने प्रायः **आरक्षण को अपने वोट बैंक की राजनीति के रूप में** इस्तेमाल किया है। वर्ष 1980 के दशक के दौरान मंडल आयोग को **राजनीतिक एक नया रूप राजनीति-मंडल** देते हुए अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया था।
 - अभी भी इसका प्रयोग एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जाता है। हाल ही में कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान एक राजनेता ने SC/ST/OBC आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग की है।
- **योग्यता/मेरिट पर नकारात्मक प्रभाव:** आरक्षण नीति का योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इस कारण कई योग्य उम्मीदवारों को सीट प्राप्त नहीं हुई, जबकि कम योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया था।

आगे की राह

- **आरक्षण नीति की समय-समय पर समीक्षा:** 2011-12, 2013-14, 2015-16, 2017-18, 2019-20 (1992) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिदेशित इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये आरक्षण नीति की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिये।
- **शिक्षा के प्रारंभिक स्तर में सुधार:** सरकार को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर में सुधार करने का प्रयास करते रहना चाहिये ताकि उच्च स्तर पर आरक्षण आसानी से समाप्त हो सके।
- **नजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ाना:** सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र और रोजगार के लिये आरक्षण पर नरिभरता को कम करने हेतु नजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिये प्रयास करना चाहिये।

स्रोत: द द्रि